प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
देवा संस्कार इंग्लिश स्कूल
सोयेपुर–वाराणसी।

पत्रांक/बेसिक/ 8738-40 /2015–2016/दिनांक : 22.12.2015

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 के नियम–15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29–08–2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं देवा संस्कार इंग्लिश स्कूल, सोयेपुर–वाराणसी को तारीख 01–07–2015 से तारीख 31–03–2018 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित् करेगा :–

(I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेगें।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा–24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तब्यों का पालन करता है और

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

क्रमशः——/2

Manager
Dewa Sanskaar English School
Soyepur, Varanasi

Manager
Dewa Sanskaar English School
Soyepur, Varanasi

8– विद्यालय अधिनियम की धारा–19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नांनुसार है–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–	4500 वर्गफिट
कुल निर्मित क्षेत्र–	3800 वर्गफिट
क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल–	पर्याप्त है।
कक्षाओं की संख्या–	10
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डागार के लिये कक्षा–	02
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय–	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा–	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई–	– –
बाधा रहित पहुँच–	उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामाग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता– है

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित् करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायं।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित् किया जाय।

17– विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत् मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(आर0सी0एस0यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

पृ0सं0: / बेसिक /   / 2015–2016 / उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।

2– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।

Manager
Dewa Sanskaar English School
Soyepur, Varanasi

(आर0सी0एस0यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

Manager
Dewa Sanskaar English School
Soyepur, Varanasi

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 दिनांक 10/10/2025

विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है–

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3– 2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पृ0सं0: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।

Dewa Sanskaar English School Principal Soyepur, Varanasi

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

Manager
Dewa Sanskaar English School
Soyepur, Varanasi